न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 37 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 09.12.2024

देवाराम गुर्जर पुत्र नारायण गुर्जर जाति गुर्जर निवासी संथली ग्राम पंचायत संथली तहसील देवली जिला टॉक (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1.भैरूलाल गुर्जर पुत्र सुखलाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम संथली ग्राम पंचायत संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज०)।
2. ग्राम पंचायत संथली पंचायत समिति देवली जरिये सरपंच कार्यालय ग्राम पंचायत संथली तहसील देवली जिला टोंक (राज०)

.....विपक्षीगण

आवेदन बाबत पुर्नविलोकन अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 बाबत निर्णय दिनाक 10.09.2024 प्रकरण उनवानी देवाराम बनाम भेरूलाल आदि प्रकरण संख्या 06 / 2022

उपस्थिति : (1) श्री योगेश व्यास, अभिभाषक आवेदक
(2) श्री भैरूलाल गुर्जर, विपक्षी सं. 1 स्वयं।

दिनांक 05/6/25

निर्णय

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत एक निगरानी ग्राम पंचायत संथली पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा विपक्षी सं. 1 को दिनांक 21.05.2015 को जारी किए गए 163.15 वर्गगज आबादी भूमि का पट्टा संख्या 03 मिसल संख्या 3 को निरस्त करार दिये जाने हेतु पेश की गई थी। न्यायालय द्वारा उक्त निगरानी में दिनांक 10.09.2024 को निर्णय पारित करते हुए निगरानी निगरानीकर्ता अस्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत संथली पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा जारी उक्त पट्टा संख्या 3 को यथावत रखा गया। उक्त निर्णय को पुर्नविलोकन किये जाने हेतु हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस विपक्षीगण की गई। निर्णय दिनांक 10.09.2024 से संबंधित न्यायालय हाजा की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 परिसीमा अधिनियम पर अभिभाषक प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 की बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार पर मूल पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में अभिभाषक प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई निगरानी में यह निवेदन किया गया था कि ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा संख्या 03 भेरूलाल के पक्ष में जारी किया गया है उस स्थान पर प्रार्थी निगरानीकर्ता का पुश्तैनी मकान बना हुआ है जिसमें प्रार्थी निगरानीकर्ता मय परिवार सहित वर्षो से निवास करता आ रहा है। प्रार्थी निगरानीकर्ता ने न्यायालय से यह भी निवेदन किया था कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से जारी किया गया है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत संथली के समक्ष दिनाक 01.10.2015 को ग्राम पंचायत संथली से शिकायत की थी जिस पर स्वंय ग्राम पंचायत ने दिनाक 05.10.2015 को पंचायत की साधारण सभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लिया था कि भेरूलाल द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष गलत तथ्य रख कर उक्त पट्टा प्राप्त किया है, ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया कि तथाकथित पट्टे शुदा गुवाडी देवाराम पुत्र नारायण गुर्जर की है और भैरूलाल ने जो ग्राम पंचायत से पट्टा बनवाया है वह गलत है और ग्राम पंचायत ने श्रीमान एस डी एम साहब टोंक से निवेदन किया है कि उक्त पट्टे को निरस्त करवाने की कार्यवाही करें तथा भैरूलाल के विरुद्ध कार्यवाही की जावे। उक्त प्रस्ताव की प्रति न्यायालय हाजा में निगरानी के साथ पेश की गई थी परन्तु माननीय न्यायालय ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनाक 05.10.2015 का गहनता पूर्वक अवलोकन नहीं किया, जिससे श्रीमान् द्वारा उक्त पट्टे को यथावत रखने का निर्णय पारित किया है।

विपक्षी भेरूलाल ने ग्राम पंचायत के समक्ष झूठे तथ्य प्रस्तुत करके प्रार्थी निगरानीकर्ता की गुवाडी का गलत तरीके से पट्टा जारी करवा लिया जबकि उक्त पट्टे शुदा स्थान पर प्रार्थी निगरानीकर्ता का पुश्तेनी मकान वर्षो से बना हुआ है और उसमें प्रार्थी निगरानीकर्ता मय परिवार के निवास करता आ रहा है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त निर्णय को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत संथली द्वारा जारी पट्टा संख्या 03 दिनाक 21.05.2015 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पुर्नविलोकन पेश कर निवेदन है कि पुर्नविलोकनकर्ता का आवेदन स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 भेरूलाल गुर्जर पुत्र सुखलाल गुर्जर निवासी संथली के पक्ष में जारी पटटा संख्या 03 दिनांक 21.05.2015 ग्राम पंचायत संथली को निरस्त फरमाया जाये।

विपक्षी संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत संथली पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जो पट्टा जारी किया गया है वह पट्टा सही एवं सत्य है तथा विपक्षी संख्या 1 ने अपने पुश्तैनी कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि पर उक्त पट्टा ग्राम पंचायत से प्राप्त किया है तथा पट्टा प्राप्त करने बाबत जिन जिन दस्तावेजो की आवश्यकता होती है, वह सभी दस्तावेज प्रतिपक्षी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टे के आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किये थे। ग्राम पंचायत संथली ने विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन व उसके साथ संलग्न सभी दस्तावेजो की पूर्ण जाँच कर नियमानुसार विपक्षी संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा निगरानी में पारित किया गया निर्णय समस्त तथ्यों/दस्तावेजात की जांच कर ही पारित किया गया है जो कि विधिसम्मत एवं सही है। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र पुर्नविलोकन खारिज किया जावें।

हमने अभिभाषक प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 की बहस को सुना एंव मनन किया तथा पत्रावली पर आये सबूत/दस्तावेजात एवं न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि विपक्षी सं. 2 ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
टोंक

दिनांक 21.05.2015 को विपक्षी सं. 1 के पक्ष मे ग्राम पंचायत संथली, तहसील देवली की आबादी भूमि में कुल 163.15 वर्गगज का आवासीय पट्टा सं. 3 जारी किया था। प्रार्थी (निगरानीकर्ता) द्वारा एक शिकायत प्रार्थना पत्र विपक्षी सं. 2 को दिनांक 01.10.2015 को पेश किये जोने पर उक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षी सं. 2 द्वारा दिनांक 05.10.2015 को ग्राम पंचायत कोरम में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जिसमें अंकित किया कि " यह गुवाडी देवाराम गुर्जर पुत्र नारायण गुर्जर की है और भैरूलाल गुर्जर पुत्र सुखलाल ने जो यह पट्टा ग्राम पंचायत से बनवाया है वह गलत है।" इससे स्पष्ट होता है कि भैरूलाल पुत्र सुखलाल गुर्जर द्वारा ग्राम पंचायत से जो पट्टा बनवाया है वह गलत है।

उक्त पट्टे को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थी (निगरानीकर्ता) द्वारा पेश की गई निगरानी में दिए गए निर्णय का अवलोकन करने पर ज्ञात होता हैं कि न्यायालय हाजा द्वारा उक्त निर्णय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.10.2015 को ग्राम पंचायत कोरम में सर्वसम्मति से पारित पट्टा निरस्त करवाने के प्रस्ताव का ध्यान नहीं रखा हैं। उक्त प्रस्ताव से स्पष्ट हैं कि उक्त पट्टा विपक्षी सं. 1 भैरूलाल ने ग्राम पचांयत के समक्ष गलत तथ्य रख कर प्राप्त किया था। ऐसी स्थिति में उक्त पट्टा विधि विरूद्ध होने पर निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत संथली पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा विपक्षी सं. 1 को दिनांक 21.05.2015 को जारी किए गए 163.15 वर्गगज आबादी भूमि का पट्टा संख्या 03 मिसल संख्या 3 को निरस्त किया जाना उचित होगा।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर न्यायालय हाजा का पूर्व निर्णय दिनांक 10.09.2024 निरस्त कर ग्राम पंचायत संथली पंचायत समिति देवली जिला टोंक द्वारा विपक्षी सं. 1 को दिनांक 21.05.2015 को जारी किए गए 163.15 वर्गगज आबादी भूमि का पट्टा संख्या 03 मिसल संख्या 3 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05/6/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरतन सोनिया)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक